



Government of Rajasthan  
Office of the Commissioner of Industries &  
Secretary, Corporate Social Responsibility (CSR)  
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005

क्रमांक:एफ33( )आ.उ./ई.ओ.डी.बी./2016

दिनांक 27.06.2016

कार्यवाही विवरण

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP), भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2016 (BRAP-2016) के 340 बिन्दुओं का अद्यतन क्रियान्विति विवरण DIPP के Web-Portal पर अपलोड करने की तिथि 15 जून, 2016 से बढ़ाकर 30 जून, 2016 किए जाने के पश्चात्, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP), भारत सरकार की BRAP-2016 हेतु समीक्षा नीति एवं वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य के 340 बिन्दुओं का क्रियान्विति विवरण के साक्ष्यों की जांच तथा आवश्यक सुझाव देने हेतु, गठित विभागीय राजस्थान लोक उपापन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2016 में राजस्थान लोक उपापन अधिनियम, 2012 तथा नियम, 2013 के तहत सेशन 31 एवं नियम 17 के अनुसार, श्री यतेन्द्र कुमार गर्ग, जिन्हें इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव है, की सेवाएं (09 दिवस के लिए), ई.ओ.डी.बी. हेतु विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में एकलस्रोत के तहत लिए जाने का निर्णय लिया गया था।

इसी क्रम में गठित विभागीय राजस्थान लोक उपापन समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (कार्यालयाध्यक्ष) की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2016 को किया गया, जिसमें समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -


1. श्री पी. आर. शर्मा, उपनिदेशक, उद्योग (तकनीकी)
2. श्री संजय मामगेन, उपनिदेशक, उद्योग (ईओडीबी)
3. श्री रामनारायण मीणा, लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उद्योग


बैठक में उपनिदेशक, उद्योग (ईओडीबी) द्वारा अवगत कराया गया कि DIPP पोर्टल पर 30 जून, 2016 तक Proof Upload किए जाने हैं। DIPP तथा World Bank द्वारा लगातार Proofs का निरीक्षण कर Clarification मांगे जा रहे हैं। अभी तक राजस्थान के 340 Proofs में से मात्र 34 Proofs ही स्वीकृत हुए हैं तथा अन्य Proofs पर लगातार updation व clarification की कार्यवाही जारी है।


विस्तृत चर्चा के उपरान्त श्री यतेन्द्र कुमार गर्ग की सेवाएं, पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 09 दिवस समाप्त होने के बाद, पुनः दिनांक 27.06.2016 से अग्रिम 09 दिवस हेतु, लिए जाने का निर्णय लिया गया। सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम भाग - II के वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बिन्दु 18(i) में विभागाध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त कार्य 93,000/- रु० (मय कर) में (09 दिवस हेतु NICSİ से प्राप्त दरों के अनुसार) संपादित कराये जाने का भी निर्णय लिया गया।


अतः बैठक में सर्वसम्मति से श्री यतेन्द्र कुमार गर्ग की सेवाएं पुनः अग्रिम 09 दिवस के लिए लिये जाने का तथा आयुक्त, उद्योग महोदय से अनुमोदन पश्चात् कार्यादेश जारी किए जाने का तथा समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण तथा जारी किया जाने वाले कार्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने भी निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त की गई।

  
(पी. आर. शर्मा)  
उपनिदेशक, उद्योग

  
(संजय मामगेन)  
उपनिदेशक, उद्योग

  
(रामनारायण मीणा)  
लेखाधिकारी

  
(डी. सी. गुप्ता)  
अति. निदेशक, उद्योग



**Government of Rajasthan  
Office of the Commissioner of Industries &  
Secretary, Corporate Social Responsibility (CSR)  
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302 005**

---

No. F.33( )CI/EODB/2016

Dated: 27.06.2016

**M/s. Girnar Software (SEZ) Pvt. Ltd.,  
372-B, Adarsh Nagar,  
Near Bhag Singh Chowk,  
Jaipur, Rajasthan 302004**

**Subject: Rendering services of Mr. Yatendra Kumar Garg, Associate Director  
Consulting for Assessment of proofs of BRAP-2016**

**Ref.: Letter dated 16.06.2016 of this office.**

In the reference of letter dated 16.06.2016 of this office, the proofs on the DIPP Portal are being uploaded. The DIPP & World Bank are sending queries on some points for clarification by respective departments. Therefore, after the last date of submission of proofs i.e. 30<sup>th</sup> June, clarifications on queries are to be submitted on the portal. Therefore, Industry Department has decided to take Mr. Yatendra Kumar Garg's services again for the period of next 09 days to check and evaluate the proofs/clarifications uploaded on DIPP Portal, suggest corrective measures in proofs, Comments or Orders/Circulars, as an expert for Assessment of proofs of BRAP-2016.

So, please provide us the services of Mr. Yatendra Kumar Garg for the period of 09 days, counted from 27.06.2016 for the aforesaid task. The remuneration for this service will be paid as Rs 93,000 (Rs Ninety three thousand only) inclusive of all taxes, according to NICSI rates.

Yours sincerely,

  
(Sanjay Mangain)  
Deputy Director, Industries